42

II/निग0/2185 [illegible]/2018/0328

न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0 [illegible]

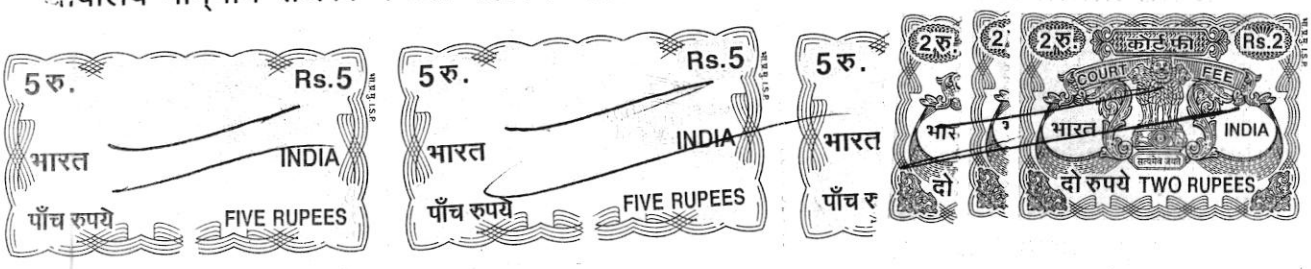

1—श्रीमती लीला वती जायसवाल पति आनंन्दलाल जायसवाल आयु 35 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी ग्राम चंदोला ;चण्डीमॉता मंन्दिर के पास थाना देवलौद/तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0।

2—रामकुमार बैस पिता काशीनॉथ बैस आयु 61 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम चचाई थाना देवलौद तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0———————— पुनरीक्षणकर्ता/निगरानीकर्ता

बनाम

1—श्रीमती राधादेवी सोनी पति सुभाष सोनी आयु 51 वर्ष पेशा गृह कार्य नवासी ग्राम चन्दोला बाणसागर थाना देवलौद तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0 ।

2—म0प्र0 शासन ——————————————————— गैर निगरानीकर्ता/अनावेदिका गण

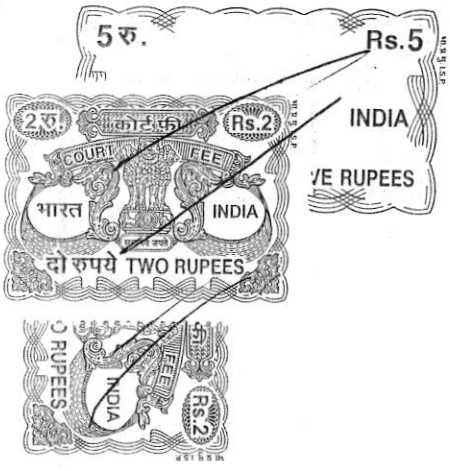

कार्यवाही—राजस्व निगरानी पुनरीक्षण विरूद्ध सीमॉकन श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय मंण्डल वृत्त खॉड तहसील ब्यौहारी जरिये राजस्व प्रकरण कमॉक—31/अ—12/16—17 आदेश दिनॉक—10.07.2017 जिला शहडोल म0प्र0 ।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा—50 म0प्र0भू0रा0सं0—1959

मान्यवर,

आवेदिका गण/निगरानीकर्ता गण के निगरानी के आधार निम्नॉकित हैः—

1— यह कि—अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक मंण्डल खॉड तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0 जरिये रा0प्र0क0—31/अ—12/16—17 आदेश दिनॉक—10.7.2017 विधिसंगत न होने से कायम रखे जाने योग्य नही है।

रामकुमार लीला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / शहडौल / भू.रा. / 2018 / 328

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त खॉड़ तहसील व्यौहारी जिला सतना के प्रकरण कमांक 31अ–12 / 16–17 में पारित आदेश दिनाक 10–7–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने ग्राम चन्दौला की आराजी कमांक 147 / 2 क / 1 / 2क के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक कमांक 31 अ–12 / 16–17 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी कराई। राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी के साथ दिनांक 15–6–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया । सीमांकन पर आवेदक क–1 के पति आनंद जायसवाल ने आपत्ति प्रस्तुत की। राजस्व निरीक्षक ने आपत्तिकर्ता एंव अनावेदक क–1 को सुनकर आदेश दिनांक 10–7–17 पारित करके आपत्ति अमान्य करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी ने आवेदकगण को सूचना दिये बिना अनावदेक से मिलकर गलत तरीके से सीमांकन किया है एंव मौके की स्थिति के मान से सीमांकन नहीं किया है। अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक क–1 के	

नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने का वह अधिकारी हैं। यदि आवेदकगण स्वयं की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानते हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 10–7–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य